उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–57/2022–23

कृष्णा यादव

बनाम्

उमा देवी

–: आदेश :–

दिनांक 12/9/24

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता कृष्णा यादव, पे0 –स्व0 मनीलाल यादव, सा0–गंगटाकला, थाना वो अंचल–पथरगामा, जिला –गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–26/20–21 (उमा देवी वगैरह बनाम् रैयान मौजा–जोकेलाघाट) के आदेश दिनांक –01.08.2022, जिसके द्वारा उत्तरवादी उमा देवी को मौजा–जोकेलाघाट, थाना नं0–414 का प्रधान नियुक्त किया है, के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–13/1980–81 (रामभजन पाण्डे बनाम् रैयान मौजा–जोकेलाघाट) के आदेश दिनांक–13.11.1985 के द्वारा मौजा–जोकेलाघाट के प्रधानी पद पर जगरनाथ पाण्डे की नियुक्ति हुई थी। लेकिन पट्टा निर्गत करने के पूर्व ही उक्त आदेश के विरूद्ध उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–6/83–84 दायर किया गया। उक्त अपील वाद में अपीलकर्त्ता के अपील को स्वीकार करते हुए पुनः सुनवाई हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध जगरनाथ पाण्डे की ओर से आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–284/1985–86 (जगरनाथ पाण्डे बनाम् गयाराम सिंह) दायर किया गया, जिसमें दिनांक–11.06.1990 के आदेश द्वारा अपीलकर्त्ता जगरनाथ पाण्डे के अपील आवेदन को खारिज किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त मौजा–जोकेलाघाट का प्रधानी पद वर्ष 1990 से रिक्त पड़ा हुआ है। इसी बीच जगरनाथ पाण्डे की मृत्यु के बाद उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए तीन उम्मिदवार क्रमशः 1. उमा देवी, 2. गयाराम सिंह एवं 3. कृष्णा यादव के द्वारा आवेदन

दाखिल किया गया, जिसके आलोक में पी0ए0 केश नं0–26/20–21 प्रारंभ किया गया। उक्त वाद में अंचल अधिकारी, पथरगामा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, पथरगामा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत नियुक्ति के लिए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने 1. उमा देवी, 2. गयाराम सिंह एवं 3. कृष्णा यादव के आवेदन पर मौजा–जोकेलाघाट के प्रधानी पद पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत नियुक्ति के लिए आदेश पारित किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत कार्रवाई करते हुए मौजा के सौलह आना रैयतों को उक्त मौजा के प्रधान चयन करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया। उत्तरवादी उमा देवी के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–26/21–22 (उमा देवी बनाम् गयाराम सिंह) दायर किया गया, जिसमें प्रविष्टि बिन्दु पर ही उत्तरवादी उमा देवी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी उमा देवी के द्वारा आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0 रिविजन नं0–59/21–22 दायर किया गया, जिसमें आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा सुनवाई किये बिना ही संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आदेश पारित किये हैं एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के आदेश के आलोक में अपीलकर्त्ता वगैरह को जानकारी दिये बिना ही एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए उत्तरवादी उमा देवी को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्ति किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। इसलिए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष उमा देवी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–जोकेलाघाट नं0–414, एक प्रधानी मौजा है एवं पी0ए0 केश नं0 –36/1929–30 के द्वारा श्री पाण्डे को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया था। श्री पाण्डे उत्तरवादी प्रथम पक्ष के दादा थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जगरनाथ पाण्डे को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–13/1980–81 के आदेश दिनांक–13.11.84 के द्वारा मौजा–जोकेलाघाट

का प्रधान नियुक्त किया था, जो उत्तरवादी प्रथम पक्ष के पिता थे। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश के विरूद्ध उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में रिविजन वाद दायर किया गया। उक्त रिविजन वाद में पारित आदेश के द्वारा मामले को पुनः सुनवाई हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को रिमाण्ड किया गया। उपायुक्त, गोड्डा के आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी प्रथम पक्ष के पिता जगरनाथ पाण्डे की ओर से आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–284/85–86 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–11.06.1990 के आदेश के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को उक्त मौजा के प्रधान नियुक्त करने के लिए पुनः सुनवाई के आदेश को बरकरार रखा गया एवं अपीलकर्त्ता के द्वारा पुनः सुनवाई के आदेश के आलोक में ही उक्त मौजा में प्रधान की नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत पुनः दावा किया गया है। लेकिन पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने का मतलब यह नहीं है कि गत प्रधान जगरनाथ पाण्डे का अधिकार छीन लिया गया। यह स्पष्ट है कि जगरनाथ पाण्डे गत प्रधान श्री पाण्डे के पुत्र है एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष अंतिम प्रधान जगरनाथ पाण्डे की एक मात्र पुत्री है तथा गत प्रधान की मृत्यु के बाद एक मात्र उत्तराधिकारी होने के कारण उन्होंने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया। उक्त मौजा के प्रधानी पद के लिए अन्य तीन आवेदक के द्वारा भी संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया था। लेकिन जाँच प्रतिवेदन में सही तथ्यों को छिपाया गया एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष के दावे के संबंध में प्रतिवेदन नहीं दिया गया। बल्कि उक्त जाँच प्रतिवेदन में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत अन्य आवेदकों को दर्शाया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपने आदेश दिनांक–27.08.2021 के द्वारा मौजा के रैयतों का राय प्राप्त करने हेतु आदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा उत्तरवादी प्रथम पक्ष के अपील को अस्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0आर0 नं0–59/21–22 (उमा देवी बनाम् गयाराम सिंह

वगै0) दायर किया गया। आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका दिनांक–11.04.2022 के आदेश के द्वारा उत्तरवादी प्रथम पक्ष के रिविजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत आदेश पारित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आयुक्त, संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत गत प्रधान जगरनाथ पाण्डे के उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय ने आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय के आर0एम0आर0 नं0–59/21–22 में दिनांक–11.04.2022 के आदेश के आलोक में आदेश पारित किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को बहस सुनने के पश्चात अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–जोकेलाघाट नं0–414 प्रधानी मौजा है। श्रीपति पाण्डेय को पी0ए0 नं0–36/1929–30 के द्वारा मौजा–जोकेलाघाट का प्रधान नियुक्त किया गया था। श्रीपति पाण्डे की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जगरनाथ पाण्डे को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–13/1980–81 के आदेश दिनांक–13.11.1985 के द्वारा उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–6/83–84 दायर किया गया था। उक्त अपील वाद में अपील आवेदन को स्वीकृत किया गया है एवं अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध जगरनाथ पाण्डे की ओर से आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–284/1985–86 (जगरनाथ पाण्डे बनाम् गयाराम सिंह) दायर किया गया था, जिसमें आदेश दिनांक–11.06.1990 के द्वारा रिविजनकर्त्ता जगरनाथ पाण्डे के रिविजन आवेदन को अस्वीकृत किया गया। इसके बाद जगरनाथ पाण्डे की मृत्यु के बाद उनके पुत्री उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने उत्तराधिकारी के आधार पर उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया

गया एवं उक्त मौजा के अन्य तीन आवेदन के द्वारा भी उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने मौजा के रैयतों का राय प्राप्त करने हेतु आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया, जिसमें उत्तरवादी प्रथम पक्ष के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–59/21–22 (उमा देवी बनाम् गया राम सिंह वगै0) दायर किया। आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के आदेश दिनांक–11.04.2022 के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए रिविजनकर्त्ता उमा देवी के आवेदन को स्वीकृत किया गया एवं आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के उक्त आदेश के आलोक में उत्तरवादी प्रथम पक्ष को मौजा–जोकेला का प्रधान नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम के विपरीत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–26/2020–21 में दिनांक–01.08.2022 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।

उपायुक्त
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.08.12 12:08:10 +05:30
Location: 192.168.1.54